संख्या-17/2022/डीएफए/349921/001-38-6002-002-2-2021

प्रेषक,

हरी राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन|

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक-08 दिसम्बर 2022

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति मद) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त (प्रथम ट्रेच) एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-4391/2758/आजीविका/लेखा/2022-23, दिनांक 21-10-2022 के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/01/2022-आरएल(एनआरएलएम_25बी), दिनांक 21-10-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति मद) में केन्द्रांश (60 प्रतिशत) धनराशि रुपये-8793.720 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) धनराशि रुपये-5862.480 लाख बनती है, इस प्रकार अनुदान सं0-83 के अंतर्गत कुल धनराशि रुपये-14656.200 लाख (रु0 एक अरब छियालीस करोड़ छप्पन लाख बीस हजार मात्र) निर्गत होना है। योजनान्र्तगत 60 प्रतिशत केंद्राश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा. 40) की व्यवस्था है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से भारत सरकार के पत्र दिनांक 21-10-2022 द्वारा अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति मद) के अंतर्गत उपरोक्तानुसार केन्द्रांश (60 प्रतिशत) धनराशि रूपये-8793.720 लाख एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) धनराशि रुपये-5862.480 लाख, इस प्रकार अनुदान अंतर्गत कुल धनराशि रुपये-14656.200 लाख (रु0 एक अरब छियालीस करोड़ छप्पन लाख बीस हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो|

11. भारत सरकार के पत्र दिनांक 21-10-2022 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दि0-07 जून, 2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 87,93,72,000 (रुपये सत्तासी करोड़ तिरान्वे लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2501017890102 राष्ट्रीय ग्रामीण

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.) मानक मद 27 सब्सिडी (2) रुपये 58,62,48,000 (रुपये अठावन करोड बासठ लाख अड़तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2501017898902 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-2-97/दस-2022-23, दिनांक 14 नवंबर, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

हरी राम
संयुक्त सचिव|

संख्या एवं तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अपर आयुक्त लेखा, याम्य विकास उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. ग्राम्य विकास अनुभाग-3 /नियोजन अनुभाग-4
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से
हरी राम
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।